बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय)

अधिसूचना

पटना, दिनांक 09.2 /2018

सं0सं0–3/स्था. 1–03/2014 01 / भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग" में भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग नियमावली–2018

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –**

(1) यह नियमावली "बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग नियमावली (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ – जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–**

(i) राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग);

(ii) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, नियंत्री विभाग के प्रधान सचिव/सचिव;

(iii) नियंत्री विभाग से अभिप्रेत है कला, संस्कृति एवं युवा विभाग;

(iv) सदस्य से अभिप्रेत है "बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग"में नियुक्त व्यक्ति;

(v) संवर्ग से अभिप्रेत है "बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग";

(vi) आयोग से अभिप्रेत है "बिहार कर्मचारी चयन आयोग"।

3. **संवर्ग की संरचना –**

(1) यह संवर्ग कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन में बिहार खेल एवं युवा सेवा के अधीनस्थ संवर्ग होगी।

(2) इस संवर्ग में क्रीड़ा प्रशिक्षक (विभिन्न खेल अनुसार) का पद होगा। क्रीड़ा प्रशिक्षक के पदों की संख्या तथा वेतनमान का अवधारण बिहार सरकार/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को क्रीड़ा प्रशिक्षकों के पदों पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी स्वतः इस संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे।

अध्याय–2

भर्त्ती

4. **अहर्ताएँ –**

(1) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होगी।

(2) उम्मीदवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से संबंधित खेल विधा में डिप्लोमा इन कोचिंग अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान, ग्वालियर से डिप्लोमा इन कोचिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीण होना चाहिए।

(3) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जैसा कि राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

5. **आरक्षण** :– संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

6. **रिक्तियों का विज्ञापन अनिवार्य रूप से किया जाना –**

(1) इस संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन के द्वारा, आवेदन अनिवार्य रूप से आमंत्रित किए जाएँगें।

(2) प्रशासी विभाग प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में इस संवर्ग में सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा तथा इस प्रकार निर्धारित रिक्तियों की सूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को देगा, परन्तु यदि किसी वर्ष में अधियाचना देने या सीधी नियुक्ति द्वारा पद भरने की कार्रवाई नहीं की जाती है, तब भी सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की गणना वर्षवार की जायेगी और उसे अगले वर्ष के लिए पिछले वर्ष की रिक्ति मानते हुए अग्रणित किया जायेगा।

7. **सीधी भर्ती का स्रोत** – इस संवर्ग की मूल कोटि के शत–प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

8. **चयन का आधार –**

क्रीड़ा प्रशिक्षक (मूल कोटि) के पद, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, विभाग की अधियाचना के आलोक में, परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से भरे जायेंगे।

9. **परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम –**

बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित की जानेवाली परीक्षा के विषय/साक्षात्कार एवं पाठ्यक्रम का अवधारण शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यतानुसार नियंत्री विभाग द्वारा आयोग के परामर्श से, किया जायेगा।

10. **चिकित्सा परीक्षा –**

नियुक्ति के लिए चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य सरकार के द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सा परीक्षा के लिए जाना होगा। पदीय कर्त्तव्यों को दक्षतापूर्वक निष्पादित करने की दृष्टि से, जो अभ्यर्थी अपनी अपेक्षित शारीरिक दक्षता के संबंध में चिकित्सा बोर्ड को संतुष्ट करने में असफल होगा, उसे नियुक्त नहीं किया जायेगा। प्रशासी विभाग स्वयं इस प्रयोजनार्थ वस्तुनिष्ठ मानदण्ड अवधारित करेगा।

11. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा –**

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा। तैयार की गयी ऐसी सूची में से आयोग अभ्यर्थियों की उतनी संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ आयोग को प्रतिवेदित की गयी हों।

12. **परीक्ष्यमान अवधि एवं सम्पुष्टि –**

(1) मौलिक पद पर नियुक्त प्रत्येक क्रीड़ा प्रशिक्षक, पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे। संतोषजनक प्रशिक्षण कार्य नहीं रहने पर अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से परिवीक्षा अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(2) सरकार परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर इस संवर्ग में भर्त्ती किये गये ऐसे किसी क्रीड़ा प्रशिक्षक की नियुक्ति समाप्त कर सकती है, यदि उक्त क्रीड़ा प्रशिक्षक अन्य कारणों से इस संवर्ग में नियुक्ति के योग्य न हो।

(3) समय–समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षु को विहित अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(4) सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं प्रोन्नति, परिवीक्षा अवधि में विहित प्रशिक्षण पूरा करने एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही देय होगा।

13. **प्रोन्नति –**

(1) बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग के क्रीड़ा प्रशिक्षकों को बिहार खेल एवं युवा संवर्ग के मूल कोटि के 25% पदों पर प्रोन्नति दी जायेगी। प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचार किया जा सकेगा। विभागीय प्रोन्नति समिति अलग से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, निर्गत संकल्पों/अनुदेशों का ध्यान रखते हुए गठित की जायेगी।

(2) **कालावधि –**

मूल कोटि से उच्चतर कोटि/कोटियों में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कालावधि निर्धारण के संबंध में समय–समय पर निर्गत निदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) **वरीयता –**
मूल कोटि में नियुक्त क्रीड़ा प्रशिक्षकों की आपसी वरीयता का अवधारण आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा।

सामान्य

14. **पद–स्थापना –**
(1) सरकार द्वारा इस संवर्ग के सदस्यों को बिहार राज्य के अंदर किसी भी स्थान पर, पदस्थापित किया जा सकेगा।
(2) संवर्ग के किसी भी सदस्य को किसी गैर–संवर्गीय पद पर, जो उसकी योग्यता के अनुरूप हो, पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सकेगी।

15. **प्रशिक्षण –**
इस संवर्ग के सदस्य को खेल के उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण अथवा आयोजन अनुभव के लिए राज्य में अथवा राज्य से बाहर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए भेजा जा सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर किये गये मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नति समिति ध्यान में रखेगी।

16. **अन्य संवर्ग संबंधी शर्त्तें –**
इस संवर्ग के लिए अन्य शर्तें यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई, अवकाश, देय सेवा निवृति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली में विहित नहीं है, राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए किये गये संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होगा।

17. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय में पूर्व से नियुक्त क्रीड़ा प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत व्यक्ति इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से इस संवर्ग में परिगणित होंगे।

18. **निरसन एवं व्यावृति –**
(1) सभी संबंधित एवं प्रासंगिक नियमावली/संकल्प/आदेश/परिपत्र/निर्णय/ अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली/संकल्प/आदेश/परिपत्र/ अनुदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा लिया गया कोई निर्णय इस नियमावली के अधीन किया गया या लिया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था अथवा निर्णय लिया गया था।

19. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–06.02.2018 के मद संख्या–11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
9/2/2018
(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/स्था.1–03/2014...174/ पटना, दिनांक–09.2/2018
प्रतिलिपिः– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियॉ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
9/2/2018
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/स्था.1–03/2014...174/ पटना, दिनांक–09.2/2018
प्रतिलिपिः–सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
9/2/2018
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/स्था.1–03/2014...174/ पटना, दिनांक–09.2/2018
प्रतिलिपिः– मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9/2/2018
सरकार के प्रधान सचिव।